K2.11.16

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश। राज्य द्वारा एडीपीओउप० आरोपीगण सहित श्री एम०एस०यादव उप० फरियादी अखलेश सिंह उप० प्रकरण आज राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत है एवं आदेश किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा द०प्र०स०की धाराउ२० (२) के अतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा किये जाने का निवेदनकिया गया। प्रकरण के अवलोकन सेदर्शित है कि प्रकरण में आरोपी सतेन्द्र सिंह, दलवीर सिंह उर्फ बलवीर, रिंकू सिंह, एवं विनोद सिंह के विरूद्ध भादस की धारा 294,341,323 एवं 506 भाग—2 के अंतर्गत राजीनामा आवेदनप्रस्तुत किया गयाहै। फरियादी अखलेश सिंह ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया गया है। राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है। राजीनामा पक्षकारों के हित में हैएव लोक नीति के अनुरूपहै। अतः बाद विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदनस्वीकार किया गया एवं उभपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गइ।

राजीनामा के आधार पर आरोपी सतेन्द्र सिंह,दलवीर सिंह उर्फ बलवीर,रिंकू एवं विनोद सिंह को भादस की धारा 294,341,323 एवं 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

आरोपीगण पूर्व से जमानत परहै उनके

जमानत मुचलके भारहीन किये गये।

प्रकरण मे कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नही है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण

अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.१- १०००

中.2-

(प्रतिष्ठा अवस्थी) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क024 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

GRPG-493-Forms-2-12-11-1,00.000.

8/2010 B

विवासीम

Ams Ecolo

Ing ?

TONGA

27-11-11